

प्रशासन गावों के संग अभियान 2021

रिपोर्ट पढ़कर हल्का/आईओएलओआर
 आदेश पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जितके अनुसार जगमाल सिंह की जमाबन्दी संख्या 2015-2018
 के खाता नं. 91 में प्रार्थी का नाम जगमाल पु. देवरा दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी का नाम जगमाल सिंह
 आचारकाई, राजकाई, गजाला पु. देवरा न राखे जाये। प्रार्थी का नाम जगमाल सिंह पु.
 देवरा है जो कि सही नाम है। जगमाल पु. देवरा का नाम जगमाल पु. देवरा की जगह
 जगमाल सिंह पु. देवरा दर्ज करना सुझावित है। प्रार्थी के पत्र में उल्लेख नं. 24

(Handwritten signatures)

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आदेश पत्र में वर्णितानुसार आदेशक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आदेशक का नाम जगमाल सिंह की अभिसंधा की जाती है /नहीं की जाती है।

उत्तर *अमित शर्मा* *31/11/21*

(Signature)
 9/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला मुंमुनु (राज.)

आदेश :-

दिनांक :- 9/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, मंत्रालय पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	किंगोरा	2015-2018	91	जगमाल पु. देवरा	जगमाल सिंह पु. देवरा

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

क्रमांक :- राजस्व/2020/

895 - 896

(Signature)
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाटी (दिनांक - 9/11/21)

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

(Signature)
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाटी